एम.ए.सी.पी. संख्या ३५३/२०१८,
१. ओम प्रकाश पटैरिया पुत्र स्व. शोभाराम पटैरिया उम्र लगभग ५३ वर्ष
२. श्रीमती उमा देवी पत्नी ओम प्रकाश पटैरिया उम्र लगभग ४८ वर्ष
समस्त नि. दुलावनी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़, म.प्र.

------याचीगण

प्रति

१. मनोज जैन पुत्र सुगम जैन निवासी वार्ड नं.१९ दद्दन मोहल्ला पुरानी शिवपुरी जिला शिवपुरी, म.प्र.
.....मालिक ट्रक नं. एम.पी. ३३एच २०८८
२. बन्टी धाकड़ पुत्र ओ.पी. धाकड़ निवासी सतन बाड़ा जिला शिवपुरी, म.प्र.
.....चालक ट्रक नं. एम.पी. ३३एच २०८८
३. चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. ४४, थर्ड लेबिल नारायण कृष्णा सिटी सेन्टर माधव रोड स्किन्डया रोड नया बाजार ग्वालियर
.....बीमा कम्पनी ट्रक नं. एम.पी. ३३एच २०८८

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल
विपक्षी सं.३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से ३६बी सुलहनामा दाखिल किया गया, जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ३६बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ३६बी याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई। ३८बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ६,७५,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा ३६बी में दर्शित कुल ₹ ६,७५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा ३६बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३६बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३६बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ ६,७५,००० (छैः लाख पचहत्तर हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। बीमा कम्पनी द्वारा धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त धनराशि में से याचीगण ४०-६० प्रतिशत के अनुपात में प्राप्त करेंगे तथा उन्हें प्राप्त होने वाली उक्त धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत भाग की ३-३ वर्ष की एन्युटी बनाई जावेगी तथा उन्हें प्राप्त होने वाली शेष धनराशि वे अपने बैंक खातों में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए नकद प्राप्त कर सकेंगे। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 17:05:38 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi